अध्याय 7

निरसन और व्यावृत्ति

15. निरसन और व्यावृत्ति -

(1) निम्नलिखित आदेशों और अधिसूचनाओं को निरसित किया जाता है:-

(i) भारत में कीटों के आयात को विनियमित करने से संबधित अधिसूचना सं0 एफ 193/40-ए , तारीख 3 फरवरी, 1941 के अधीन अधिसूचित किए गए नियम ।

(ii) भारत में जीवित कवक के आयात को विनियमित करने के लिए अधिसूचना सं0 16-(I)/43-ए, तारीख 10 मई, 1943 के अधीन अधिसूचित किए गए नियम ।

(iii) भारत में कपास का आयात विनियम, 1972 ।

(iv) पादप, फल और बीज (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 1989 ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ऐसा कोई आयात परमिट, जो इस आदेश के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है और जो इस आदेश से संगत है, प्रवृत्त बना रहेगा और निरसित नियमों, विनियमों और आदेशों के अधीन की गई और ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियुक्तियां और उद्गृहीत की गईं फीसें, उसी प्रकार प्रवृत्त बनी रहेंगी और प्रतिसंहृत किए जाने तक, इस आदेश के अनुसरण में की गईं या उद्गृहीत की गईं समझी जाएंगी ।